




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
17-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठारीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-9-24 को पेश हो। 
19.09.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश होने सम्मान तलबाना पत्रावली दिनांक 04.10.2024 को पेश हो।  ( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
04.10.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश होने सम्मान तलबाना पत्रावली दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।  ( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
18.10.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी इस न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 71/2012 उनवानी बसन्ती देवी वगैरे बनाम् भूरा वगैरे में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2013 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के द्वारा अपील संख्या 35/2017 उनवानी हरफूल वगैरे बनाम बसन्ती देवी वगैरे में पारित आदेश दिनांक 21.07.2017 के द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2013 को खारिज किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)  
इ.स.स. नं. २१३/१८

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरसाक्षर जज

श.स.स. २१३/१८

अ.नं. ४३/१८

नम्बर  
अदालत  
हुक्म २  
पे ३

प्रकरण में पुन सुनवाई की कार्यवाही विचाराधीन होकर आगामी पेशी 08.11.2024 नियत है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को इसी स्तर पर औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)